



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716814,2716832

E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक:- एफ 8(82)/राप्रनिमं/स्टोर/ 864-867

दिनांक:- 20/1/2022

नीलामी सूचना

मण्डल में अनुपयोगी सामान (Centralized Desert Cooling System) की नीलामी की जानी है। नीलामी की तिथि 31.01.2022 समय प्रातः 11.00 बजे निर्धारित है। उपस्थित बोलीदाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष बोली लगाकर, सामान को नीलाम (जहां है जैसा है) किया जावेगा। नीलाम किए जाने वाले सामान का पुस्तकांतिक मूल्य राशि रूपये 6,67,000/- (रूपये छः लाख सड़सठ हजार मात्र) है। विस्तृत विवरण राज्य मण्डल की वेब साइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता, धरोहर राशि 5,000/- जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकेंगे। समस्त बोलीदाता द्वारा कोरोना गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य है।

सदस्य सचिव



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716814,2716832

E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले धरोहर राशि रूपयें 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।
2. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय सामान के क्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
3. एक बार बोली समाप्त होने पर नाकारा सामान के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और नाही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
4. उच्चतम बोली की एक चौथाई राशि, सामान नीलामी के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर ही जमा करवानी होगी।
5. शेष तीन चौथाई राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। नीलामी के दिन से तीन दिन के अन्दर नीलाम किये गये सामान की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। तीन दिन में राशि जमा नहीं करवाने पर 1000 रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा। नीलामी तिथि से सात दिवस तक राशि जमा नहीं करवाने पर जमा करवायी गयी एक चौथाई राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. नीलाम किये गये सामान को नीलामी के दिन से सात दिवस के अंदर उठाना आवश्यक है। सात दिवस में सामान नहीं उठाने पर 500/- रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
7. सामान जहां है, जैसा है उसी हालत में नीलाम किया जावेगा। सामान की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
8. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से GST का भी भुगतान सफल बोली दाता द्वारा किया जावेगा।
9. राज्य मण्डल का कोई भी कार्मिक बोली नहीं लगा सकेगा।
10. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने बोली को स्थगित या निरस्त करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
11. उक्त शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी शक का समाधान/खुलासा के लिए नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
12. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल (श्री अश्विनी कुमार शर्मा) से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
13. न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

सदस्य सचिव